

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :- FP/CG/ROAD/145282/2021

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

जगदलपुर-सुकमा-कोंटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के कि.मी. 25.530 से 31.450 = 6.010 कि.मी. के अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक 89 मे से रकबा 2.206 हे० कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199 हे० कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे० कक्ष क्रमांक 165 रकबा 1.990 हे० कुल योग रकबा 8.386 हे० में उन्नयन एवं चौड़ीकरण का निर्माण कार्य हेतु अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 31/05/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

सहमत ।

16. प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ रिपोर्ट ।

निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र-3 में दी गई टीप अनुसार प्रकरण को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

31.5.2022

दिनांक 31/05/2022

स्थान : जगदलपुर

अभय कुमार श्रीवास्तव

भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.